बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0– AW-367/29/2025-SEC_8B -1599/–परिवादी श्री भगवान लाल यादव, जिला–सिवान द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, सिवान में राजस्व क्षति से संबंधित समर्पित परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा से करायी गयी जिसके अनुपालन में जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सिवान को प्रथम दृष्टया बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य किये जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त के आलोक में आरोपी कर्मी श्री पाण्डेय से जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर कारण पृच्छा की गयी जिसके अनुपालन में श्री पाण्डेय द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। आरोपी कर्मी श्री पाण्डेय से प्राप्त स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जाँच पदाधिकारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा जिला अवर निबंधक, सिवान के साथ की गयी स्थल जाँच में प्रश्नगत भूमि नगर निगम क्षेत्र के अधीन भूमि पर संरचना पायी गयी जबकि आरोपी कर्मी श्री पांडेय द्वारा निबंधन के पूर्व दिनांक–16.04.2025 को पक्षकार के साथ की गयी स्थल जाँच में संरचना विहिन प्रतिवेदित किया गया था। किन्तु राजस्व क्षति का परिवाद आने के उपरांत आरोपी कर्मी द्वारा पुनः दिनांक–22.04.2025 को स्थल जाँच किया गया जिसमें संरचना प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात पक्षकार श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा सहमति पत्र ई–स्टाम्प के साथ दिनांक 22.05.2025 को ई–स्टाम्प सर्टिफिकेट संख्या–INBR-2500785509 द्वारा 161136/– (रूपये एक लाख इकसठ हजार एक सौ छत्तीस मात्र) रूपये की कमी मुद्रांक शुल्क जमा कराया गया। जाँच पदाधिकारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि क्रेता श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा गलत प्लॉट चिन्हित कराये जाने के कारण आरोपी कर्मी दिगभ्रमित हुए किन्तु उन्हें स्वविवेक से आस पास अन्य लोगों से भी पूछताछ कर एवं नक्शा आदि के आधार पर भूमि को चिन्हित किया जाना चाहिए था परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो वित्तीय अनियमितता से संबंधित अत्यंत ही गंभीर मामला है। श्री पाण्डेय का यह कृत्य उनके कार्यों के प्रति कर्त्तव्यहीनता एवं उदासीनता का परिचायक है। अतएव उक्त आलोक में समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी कर्मी श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सिवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा सरकारी राजस्व की क्षति के प्रमाणित आरोपों के मददेनजर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने एवं सरकारी राजस्व की क्षति के प्रमाणित आरोपों के लिए आरोपी कर्मी श्री पाण्डेय को विभागीय आदेश–5823 दिनांक–08.10.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत लघु दण्ड के रूप में असंचयी प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार दिनांक–06.01.2026 को सुनवाई की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रकियाओं का सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है ?

12.03.26

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है?

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है ?

3. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि पक्षकार द्वारा अंतरित किए गए वास्तविक भूमि से भिन्न भूमि दिखाकर निबंधन कराने से राजस्व की क्षति हुई है जो पक्षकार द्वारा अंतरित किए गए वास्तविक भूमि से भिन्न भूमि दिखाकर निबंधन कराने से राजस्व की क्षति हुई है तो इसके लिए पक्षकार ही दोषी हैं।

4. आरोपी कर्मी श्री पाण्डेय से प्राप्त अपील आवेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि परिवाद पत्र के आलोक में जाँच पदाधिकारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा जिला अवर निबंधक, सिवान के साथ स्वंय स्थल जाँच किया गया जिसमें भूमि पर संरचना पायी गयी। प्रश्नगत भूमि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत है जिसकी जाँच आरोपी कर्मी श्री पांडेय द्वारा दस्तावेज निबंधन के पूर्व दिनांक–16.04.2025 को पक्षकार के साथ किया गया था किन्तु राजस्व क्षति का परिवाद पत्र आने के उपरांत आरोपी कर्मी द्वारा पुनः दिनांक–22.04.2025 को स्थल जाँच किया गया जिसमें संरचना प्रतिवेदित किया गया। जाँच पदाधिकारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि क्रेता श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा गलत प्लॉट चिन्हित कराये जाने के कारण आरोपी कर्मी जाँच लिपिक दिगभ्रमित हुए किन्तु उन्हें स्वविवेक से आस पास अन्य लोगों से भी पूछताछ कर एवं नक्शा आदि के आधार पर भूमि को चिन्हित किया जाना चाहिए था परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राजस्व की क्षति का अत्यंत ही गंभीर मामला है। श्री पाण्डेय का यह कृत्य उनके कार्यों के प्रति कर्त्तव्यहीनता एवं उदासीनता का परिचायक है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

6. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सिवान के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

7. अतएव उक्त के आलोक में श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सिवान के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

8. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– AW-367/29/2025-SEC_8B 1599 /– पटना, दिनांक– 12.03.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, सिवान/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमण्डल, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, सिवान/जिला अवर निबंधक, सिवान/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/2026

सरकार के संयुक्त सचिव

12.03.26